न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी महावीर सिह (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 9 / 2023

उनवान

1 श्रीमति सरोज क्षेत्रपाल पत्नि श्री डॉ0 रमेश क्षेत्रपाल पुत्र जाति हिन्दु पंजाबी निवासी कुन्दन नगर अजमेर

प्रार्थीयागण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थित

1. श्री एन.एस.राजावत अभिभाषक प्रार्थिया
2. तहसीलदार अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 15.06.2023

आदेश

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान ग्राम पंचायत चाचियावास में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना गया।

प्रार्थीयागण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किग खसरा नम्बर 672 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 959 रकबा 06 बिस्वा वर्किग खाता संख्या 01 के वर्किग खसरा नम्बर 784 रकबा 06 बिस्वा भूमि 10 बिस्वान्सी एवं वर्किग खाता संख्या 01 के वर्किग खसरा नम्बर 784 रकबा 06 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार श्री कल्ला पुत्र श्री नाथा जाति रावत रहे है। उक्त वर्णित भूमि के मूल

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

खातेदार श्री कल्ला पुत्र नाथा के स्वर्गवास के पश्चात अन्य भूमि के साथ विरासत नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 27.05.89 उसके विधिक वारिसान श्री मोडू पुत्र कल्ला व श्रीमती मानी पत्नी स्व0 श्री कल्ला के नाम स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमांबदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 36 पुराना 32 में तदानुसार अंकन कर दिया गया । श्री मोडू पुत्र स्व0 श्री कल्ला एवं श्रीमती मानी पत्नि स्व0 श्री कल्ला के स्वर्गवास पश्चात उक्त वर्णित भूमि के साथ अन्य भूमियों का विरासत नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 27.05.1989 व 273 दिनांक 05.08.2002 श्रीमती केसी पत्नि स्व0 श्री मोडू व नानू व पप्पू पुत्रगण स्व0 श्री मोडू के नाम स्वीकार किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 36 पुराना 32 में तदानुसार अंकन कर दिया गया । विधिक वारिसान एवं सहखातेदारान श्रीमती केसी, नानू व पप्पू तथा अन्य हितबद्व शेष विधिक वारिसान द्वारा संयुक्त रूप से उक्त वर्णित भूमियों को जरिये पंजीबछ विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2006 द्वारा प्रार्थीया के हक में विक्रय कर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रदान कर दिये जाने पर पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2006 के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1241 दिनांक 05.10.2011 प्रार्थीया के नाम स्वीकृत कर दिया गया । इस प्रकार प्रार्थीया अपने क्रयशुद्वा खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि पर बहैसियत खातेदार/काबिज काश्त चली आ रही है। वर्तमान में सम्पन्न भू-संशोधन की कार्यवाही पश्चात वर्किंग खसरा नम्बर 762 व 769 है के नवीन खसरा को विधिवत रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, परन्तु वर्किंग खसरा नम्बर 784 रकबा 00-06-00 बीघा जिसके कि वर्तमान खसरा नम्बर 827 रकबा 0.05 है0 कायम किये गये है, की भूमि को लिपिकीय त्रुटि कारित करते हुए वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 में विधिवत स्वीकृत विरासत एवं बेचान नामान्तकरण को विलोपित किया जाकर मृतक मूल खातेदार श्री कल्ला पुत्र नाथा जाति रावत के नाम वर्तमान जमाबंदी 2076 के खाता संख्या 82 में दर्ज कर दिया गया जिसे लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित विरासत एवं बेचान नामान्तकरणों का इन्द्राज वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। भू-प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व एजेन्सी विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टातो के परिपेक्ष्य में पूर्व राजस्व रेकॉर्ड में किये गये विधि सम्मत इन्द्राजात की पुनावृति कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु विकध के तहत बाध्य एवं प्रतिबन्धित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विधिवत स्वीकृत

उपखण्ड अधिकारी

...संख्या 89 दिनांक 20.09.1996 का एवं 1241 दिनांक 05.10.2011 अंकन वर्तमान ...संवत 2076 के खाता संख्या 82 में किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए।

दौराने केम्प तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा के वर्किंग खसरा नम्बर 784 रकबा 06 बिस्वा पर वर्किंग जमाबन्दी एवं नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 29.02.1996 एवं नामान्तकरण संख्या 1241 दिनांक 05.10.2011 के आधार पर हाल रेकार्ड में नवीन दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुताबिक वर्किंग जमाबंदी गत खसरा संख्या 784 रकबा 06 बिस्वा पर नामान्तरण संख्या 89 दिनांक 29.02.1996 मृतक कल्ला पुत्र नाथा रावत के वारिसान नानू, पप्पू पिता मोडू व केसी पत्नी मोडू के नाम खातेदारी दर्ज करने के इन्द्राज दर्ज है। तत्पश्चात नामान्तकरण नम्बर 1241 दिनांक 05.10.2011 से विक्रेतागण नानू पप्पू पिता मोडू, केसी पत्नी मोडू के बजाय प्रार्थिया सरोज क्षेत्रपाल पत्नी डा. रमेश क्षेत्रपाल के नाम अंकन दर्ज है। परन्तु हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 827 रकबा 0.05 पर पुनः कल्ला पुत्र नाथा रावत के नाम अंकन दर्ज हो गया है। अतः वर्किंग जमाबंदी एवं नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 29.02.1996 व 1241 दिनांक 05.10.2011 के आधार पर प्रार्थीया के नाम हाल रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अनुशंषा उचित प्रतीत होती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अजमेर की अनुसार वर्किंग जमाबंदी गत खसरा संख्या 784 रकबा 06 बिस्वा पर नामान्तरण संख्या 89 दिनांक 29.02.1996 मृतक कल्ला पुत्र नाथा रावत के वारिसान नानू, पप्पू पिता मोडू व केसी पत्नी मोडू के नाम खातेदारी दर्ज करने के इन्द्राज दर्ज है। तत्पश्चात नामान्तकरण नम्बर 1241 दिनांक 05.10.2011 से विक्रेतागण नानू पप्पू पिता मोडू, केसी पत्नी मोडू के बजाय प्रार्थिया सरोज क्षेत्रपाल पत्नी डा. रमेश क्षेत्रपाल के नाम अंकन दर्ज है। परन्तु हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 827 रकबा 0.05 पर पुनः कल्ला पुत्र नाथा रावत के नाम अंकन दर्ज हो गया है। अतः वर्किंग जमाबंदी एवं नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 29.02.1996 व 1241 दिनांक 05.10.2011 के आधार पर प्रार्थीया के नाम हाल रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अनुशंषा उचित प्रतीत होने

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

बाबत तहसीलदार अजमेर ने अनुशंषा की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन एवं उनकी पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य तथा तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब/रिकार्ड से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को स्वीकार किया गया है इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयॉगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिए जाते है कि वर्किंग जमाबंदी के नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.09.1996 एवं 1241 दिनांक 05.10.2011 का नवीन जमाबंदी तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद यदि नही हुआ है तो राजस्व रिकॉर्ड से मिलान/ जांच कर ग्राम हाथीखेड़ा तहसील अजमेर अवस्थित हाल खसरा नम्बर 827 रकबा 0.05 पर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर